न्यायालय – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी	–	विजय कुमार (आरजेएस)
आपराधिक मूल प्रकरण संख्या	–	348/2014
सीआईएस नंबर	–	98/2014
सीएनआर नं.	–	RJBM09-000024-2014

राजस्थान राज्य

बनाम

जोगेंद्र कुमार उर्फ जोगाराम पुत्र धर्माराम, उम्र 30 वर्ष, निवासी चुली डुंगरी, हाल–केरनाडा पुलिस थाना चौहटन जिला बाडमेर।

——अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा 447, 341 323, 354, 509 भारतीय दंड संहिता

(12 वर्ष से अधिक पुराना प्रकरण)

उपस्थितिः–

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।
2. विद्वान अधिवक्ता भैराराम बेनीवाल, परिवादी की ओर से।
3. विद्वान अधिवक्ता श्री शाकर खान समेजा, अभियुक्त की ओर से।

–: **निर्णय** :– **दिनांक :– 21.04.2026**

1. सर्वप्रथम यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि यह प्रकरण माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बाड़मेर के आदेश द्वारा श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौहटन के न्यायालय से स्थानांतरण रीति से अंतरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ, जिसका बाद सुनवाई आज इस निर्णय द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।
2. हस्तगत प्रकरण की उत्पत्ति प्रार्थीया श्रीमति देवी निवासी जाणियों की होदी द्वारा उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट दिनांक 15.11.2013 से हुई कि ग्राम चुली डुंगरी चौहटन में परिवादिया के पिता हनुमानराम के नाम से खातेदारी काश्त कब्जे का खेत आया हुआ है। उसकी माता की मारपीट होने से उसकी माता बाड़मेर चिकित्सालय में भर्ती है। उसके पिता उसकी माता के पास बाड़मेर ईलाज करा रहे हैं। घर पे वह अकेली है। आज सुबह करीब

10.00 बजे वह उक्त खेत में बीते की लकड़ियों को बीन कर ढाणी ला रही थी, तो इतने में जोगेंद्र पुत्र धरमाराम जाति जाट निवासी चुली डूंगरी उक्त खेत में अनाधिकृत रूप से दाखिल हुआ और उसे भद्दी गालियां निकालने लगा, तब उसने गालिया निकालने से मना किया, लेकिन नहीं माना तथा उसे हाथों से पकड़कर घसींटने लगा और थापों, धिक्कों, मुक्कों लातों घूसों से जगह बजगह मारपीट करने लगा और उसकी इज्जत लूटने लगा तब उसने चिल्लाया तो उसका चिल्लाना सुनकर सुरताराम दौड़कर आया और बीच में पड़ मुझे छुड़ाया, इत्यादि। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना चौहटन में मुकदमा नम्बर 251/2013 अपराध अन्तर्गत धारा 447, 341, 354, 509 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी द्वारा तफ्तीश प्रारम्भ की गई और बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्व अपराध अन्तर्गत धारा 447, 341 323, 354, 509 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में आरोप न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर उक्त न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्त विरूद्व उपरोक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा 447, 341 323, 354, 509 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप पृथक से विरचित कर सरे इजलास सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोपों से इंकार कर अन्वीक्षा चाही। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन हेतु नियत की गई।
4. अभियोजन पक्ष द्वारा निम्न सूची अनुसार मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए हैं।

–:: <u>अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह सूची</u> ::–

साक्षी का कम	**साक्षी का नाम**	**संक्षिप्त विवरण/साक्षी की भूमिका**
पीडब्ल्यू–1	कलाराम	घटना का चश्मदीद गवाह
पीडब्ल्यू–2	देवी कुमारी	शिकायतकर्ता/पीड़िता
पीडब्ल्यू–3	डॉ. अशोक माहेश्वरी	चिकित्सकीय साक्षी
पीडब्ल्यू–4	छैलसिंह	रेवेन्यू रेकर्ड दाता
पीडब्ल्यू–5	सुरताराम	चश्मदीद गवाह
पीडब्ल्यू–6	गैरोंदेवी	चश्मदीद गवाह
पीडब्ल्यू–7	बाबूलाल	नक्शा मौका
पीडब्ल्यू–8	कवेंद्र कुमार	फर्द गिरफ्तारी
पीडब्ल्यू–9	दुर्गाराम	फर्द गिरफ्तारी
पीडब्ल्यू–10	जगदीश प्रसाद शर्मा	एफआईआर दर्जकर्ता

पीडब्ल्यू–10	मूलाराम	अन्वेषण अधिकारी

5. प्रकरण में दौराने विचारण सभी गवाहान के बयान लेखबद्ध किए जाकर साक्ष्य अभियोजन समाप्त की गई।

–:: अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची ::–

प्रदर्श संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	साबितकर्ता/प्रमाणितकर्ता
प्रदर्श पी–1	फर्द नक्शा मौका	पीडब्ल्यू –1,2,7,10
प्रदर्श पी–3	चोट प्रतिवेदन देवी	पीडब्ल्यू –2,3
प्रदर्श पी–4 व 5	नक्शा ट्रेस व नकल खतौनी	पीडब्ल्यू –4
प्रदर्श पी–6	फर्द गिरफ्तारी जोगेंद्र	पीडब्ल्यू –9,10
प्रदर्श पी–7	लिखित रिपोर्ट	पीडब्ल्यू –2,10
प्रदर्श पी–8	चाक एफआईआर	पीडब्ल्यू –10
प्रदर्श पी–9	जन्मतिथि प्रमाण–पत्र	पीडब्ल्यू –10
प्रदर्श पी–10	कॉल डिटेल हेतु जारी पत्र	पीडब्ल्यू –10
प्रदर्श पी–11	जन्म प्रमाण–पत्र हेतु जारी तहरीर	पीडब्ल्यू –10
प्रदर्श पी–12	प्रार्थना–पत्र बाबत् धारा 164 बयान	पीडब्ल्यू –10
प्रदर्श पी–13	पीड़िता व परिवारजन को उचित सुरक्षा हेतु न्यायालय का पत्र	पीडब्ल्यू –10
प्रदर्श पी–14	धारा 164 के बयान कुमारी देवी	पीडब्ल्यू –2

6. अभियोजन पक्ष की ओर से आई विपरीत साक्ष्य के स्पष्टीकरण हेतु अभियुक्त को अंतर्गत धारा 313 सीआरपीसी के तहत परीक्षित किया गया जिसमें अभियुक्त द्वारा अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए स्वयं के निर्दोष होने एवं झूठा फंसाये जाने का कथन करते हुए प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश करना नहीं चाहा जिस पर प्रतिरक्षा साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस अंतिम हेतु नियत की गई।

7. बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गयी। दौराने बहस अंतिम अभियोजन अधिकारी व अधिवक्ता परिवादी ने संयुक्त रूप से बहस करते हुये तर्क दिया गया कि अभियुक्त ने पीड़िता का रिश्ते में भाई होते हुये भी उसके साथ मारपीट व गाली–गलौच के साथ लज्जा भंग का अपराध किया है। पीड़िता ने अपने परिवाद, पुलिस बयान व न्यायालय बयानों में भी अभियोजन कहानी की पुष्टि की है। सभी स्वतंत्र गवाहान ने भी अभियोजन कहानी को

प्रमाणित किया है। चिकित्सकीय साक्षी की साक्ष्य से भी अभियुक्त के अपराध की पुष्टि होती है। अभियुक्त द्वारा घटना कारित करने का स्पष्ट आशय गवाहान की जिरह से प्रकट होता है कि उसके द्वारा जमीनी विवाद की रंजिश को लेकर उक्त घटना कारित की है। उक्त घटना से पूर्व अभियुक्त ने पीड़िता की मां के साथ भी मारपीट की थी जिसकी साक्ष्य भी पत्रावली पर उपस्थित है। अभियोजन पक्ष मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। अंत में अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित कर दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

8. इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्त का बहस में यह तर्क रहा है कि खेत के विवाद को लेकर यह झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है व पीड़िता की मां एवं पिता घटना के रोज मौके पर उपस्थित नहीं थे और किसी भी स्वतंत्र साक्षी को अभियोजन ने परीक्षित नहीं करवाया। पीड़िता अभियुक्त की रिश्ते में बहिन लगती है और कोई भी व्यक्ति अपनी बहन के साथ ऐसा घिनौना अपराध कारित नहीं कर सकता है। केवल मात्र जमीनी विवाद को लेकर यह प्रकरण झूठा दर्ज करवाया है। प्रकरण के किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने घटना की ताईद नहीं की है। किसी भी गवाह ने अभियुक्त द्वारा घटना कारित करने की साक्ष्य नहीं दी है। पीड़िता की मां व पिता घटना के रोज मौके पर नहीं थे। पीड़िता द्वारा प्रस्तुत परिवाद में ए से बी भाग में लिखावट में अंतर है जो बाद में जोड़ गया है जिसकी पुष्टि एफआईआर लिखने वाले गवाह ने भी की है। गवाहों की साक्ष्य में भारी विरोधाभास है जिससे अभियोजन कहानी प्रमाणित नहीं होती है। घटना के स्थान पर स्थित स्कूल के टीचर व छात्रों को भी पेश कर परीक्षित नहीं करवाया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध किसी भी प्रकार की साक्ष्य सामग्री पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं हुआ है। अभियोजन पक्ष अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में विफल रहा है। अंत में अभियुक्त को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया।

9. सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्षकारान के तर्कों व प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न है कि –

   1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 15.11.2013 को समय करीब सुबह 10:00 बजे सरहद मौजा चुली डुंगरी चौहटन में परिवादिया कुमारी देवी के पिता हनुमानराम के खातेदारी कब्जेशुदा भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर आपराधिक अतिचार कारित कर परिवादिया की लज्जा का अनादर करने के आशय से उसको भद्दी–भद्दी गालियां निकाली व सदोष अवरोध कारित कर उसके साथ मारपीट कर स्वैच्छया साधारण उपहतियां कारित कीं तथा आपराधिक बल या हमले का प्रयोग किया?

2. यदि हां, तो उचित दण्ड क्या होगा ?

10. उपरोक्त विचारणीय बिंदू के संबंध में सर्वप्रथम परिवादीया/पीड़िता देवी कुमारी पीडब्ल्यू 02 की साक्ष्य का अवलोकन किया जाए तो उसने अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 15.11.2013 को लकड़ी बीनते समय जोगेंद्र कुमार द्वारा उनके खेत में जबरदस्ती घुसकर गंदी–गंदी गालियां दी जिसे मना करने पर उसने परिवादिया का हाथ पकड़कर घसीटा और थाप–मुक्कों से मारपीट की। एवं गंदी नियत से उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए उसकी सलवार का नाड़ा गंदी तरीके से खालने की कोशिश की, उसकी रड़े सुनकर सुरताराम आया और उसे बीच–बचाव कर छुड़ाया। दौराने जिरह इस गवाह से घटना के संबंध में कोई जिरह नहीं की गई है, लेकिन जो जिरह की गई है, उसमें केवल खेत के संबंध में दोनों पक्षों में विवाद होने को ही मुख्य आधार बताया है। इस गवाह ने जिरह में कथन किया कि उसे रिपोर्ट करने की तिथि और वार याद नहीं हैं, केवल दिनांक याद है। रिपोर्ट उसने लिखवाई थी, जो वकील से लिखवाई थी। उसके पिताजी हनुमानराम, कलाराम व धर्माराम सगे भाई हैं। पुलिस घटना के दिन ही मौके पर आई थी, जब पुलिस मौके पर आयी, तब कलाराम, बाबूराम व सुरताराम आदि मौके पर उपस्थित थे। यह कहना सही है कि जब पुलिस मौके पर आई, तब स्कूल के लड़के व टीचर वगैरह मौके पर आए थे। अजखुद कहा कि बच्चे व टीचर स्कूल के पास खड़े थे, जो स्कूल मौके से थोड़ी दूरी पर है। धर्माराम ने राजस्व न्यायालय में उसके पिताजी के विरुद्ध राजस्व वाद पेश किया हो तो उसे इसकी जानकारी नहीं है। घटना के वक्त आसपास की ढाणियों से कोई आया हो तो उसने नहीं देखा। सुरताराम आया था, जिसने बीच–बचाव किया। कलाराम अपने खेत में काम कर रहा था। सुरताराम बीच–बचाव कर उसे छुड़ाकर कलाराम के पास ले गया। घटनास्थल से कलाराम का खेत उनके खेत से दिखता है। घ टना के बाद वह व कलाराम थाने गए थे। पुलिस ने पहले उसका मेडिकल करवाया था, फिर मौके पर गए थे। यह कहना गलत है कि उनके पास में खेत को लेकर विवाद होने से यह झूठा मुकदमा करवाया था। अधिवक्ता अभियुक्त का मुख्यतः यह तर्क रहा है कि परिवादिया मुलजिम की बहन लगती है और कोई भी व्यक्ति अपनी बहन के साथ छेड़छाड़ या बलात्कार का प्रयास नहीं कर सकता है। यह मुकदमा केवल खेत के विवाद को लेकर झूठा दर्ज करवाया गया है। निश्चित तौर पर परिवादिया अभियुक्त की बहन लगती है, लेकिन वह अभियुक्त की सगी बहन न होकर चचेरी बहन है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अधिवक्ता अभियुक्त का उक्त तर्क मानने योग्य नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार वर्तमान समय में समाज पथभ्रष्ट हो रहा है, वहां पारिवारिक एवं निजी रिश्तों में भी इस प्रकार की घटना आम तौर पर घटित हो रही है, इसलिए उक्त तर्क मानने योग्य नहीं है। खासकर तब जबकि पीड़िता ने अपने मुख्य परीक्षा में न केवल परिवाद के बल्कि धारा 161 के पुलिस बयानों तथा धारा 164 के न्यायालय में सशपथ बयानों में उन्हीं तथ्यों को अक्षरशः कथित किया है। प्रकरण के चक्षुदर्शी गवाह पीडब्ल्यू 05 सुरताराम की साक्ष्य का अवलोकन किया जाए तो उसने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसने घटना के वक्त देखा कि देवी लकड़ियां बीन रही

थी, तब जोगेंद्र आया और देवी का रास्ता रोककर उसके साथ पतली छड़ी से मारपीट की एवं उसे गालियां निकालकर छेड़खानी करते हुए लज्जा भंग की। तब इस गवाह ने हाका किया तो जोगेंद्र वहां से चला गया व देवी रोती हुई घर चली गई। दौराने जिरह इस गवाह ने कथन किया कि घटना की तारीख आज उसे याद नहीं है। यह सही है कि घटना के दिन वह घर पर था। यह कहना गलत है कि उसका पड़ोसी होने के कारण आज झूठे बयान दे रहा हो। इस गवाह से ऐसी कोई जिरह नहीं की गई है, जिससे उसकी मुख्य परीक्षा खंडित होती हो। यहां तक कि घटना के संबंध में भी कोई जिरह नहीं की गई है। इसी प्रकार गवाह कलाराम पीडब्ल्यू 01 ने भी परिवादिया के कथनों को अपनी मुख्य परीक्षा में दौहराते हुए देवी कुमारी के साथ छेड़छाड़ व लड़ाई–झगड़ा होना बताया है। हालांकि यह गवाह घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, लेकिन घटना के तुरंत बाद इस गवाह को परिवादिया द्वारा अपने साथ घटना रोते हुए बताना प्रकट किया है। दौराने जिरह भी इस गवाह ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसने जोगेंद्र को मारपीट व छेड़छाड़ करते नहीं देखा। यह गवाह मौका पुलिस द्वारा देखना व नक्शा मौका प्रदर्श पी 01 पर अपने ए से बी हस्ताक्षर होना बताता है। लेकिन जिरह में पुलिस मौके पर कितनी तारीख को किस समय आई इसका पता नहीं होना बताता है। पीड़िता की मां पीडब्ल्यू 06 गेहरों देवी ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में घटना के रोज उनके खेत में जोगेंद्र द्वारा मवेशी लेकर आने और उसकी बेटी देवी को गालियां निकालने व रास्ता रोककर मारपीट कर छेड़छाड़ करने एवं सुरताराम द्वारा छुड़वाने के कथन किए हैं। यह गवाह आगे यह भी कथन करती है कि उसकी बेटी के साथ हुई घटना से पूर्व में चूनाराम व जोगेंद्र ने उसके साथ मारपीट की थी, जिसकी उसने रिपोर्ट की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। यह गवाह घटना से पूर्व रात्रि को जोगेंद्र द्वारा उनके कमरे की खिड़की के पास आकर सींटियां बजाना और सुबह घटना कारित करना भी बताती है। इस गवाह से घटना के संबंध में कोई भी जिरह अधिवक्ता अभियुक्त ने नहीं की है। इस गवाह की जिरह का अवलोकन किया जाए तो इस गवाह से केवल चूनाराम व जोगेंद्र द्वारा उनके खेत में किस तारीख को मवेशी लेकर आए याद नहीं होना के संबंध में ही जिरह की गई है। यह कहना सही है कि चूनाराम व जोगेंद्र मवेशी लेकर उनके खेत में आए उस समय वह घर पर नहीं थे। यह भी स्वीकार करती है कि उसकी पुत्री शांति व देवी के साथ उसने चूनाराम व जोगेंद्र द्वारा छेड़छाड़ करते नहीं देखा। इस बात से इंकार किया है कि उसकी चूनाराम व जोगेंद्र के साथ पुरानी अनबन होने से झूठा मुकदमा किया हो। हालांकि यह गवाह भी घटना की चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, लेकिन घटना कारित करने का मुख्य आधार स्पष्ट रूप से प्रकट करती है, जिसका कोई खंडन जिरह में नहीं किया गया है। अधिवक्ता अभियुक्त का बहस में यह भी तर्क रहा है कि खेत के विवाद को लेकर यह झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है व पीड़िता की मां एवं पिता घटना के रोज मौके पर उपस्थित नहीं थे और किसी भी स्वतंत्र साक्षी को अभियोजन ने परीक्षित नहीं करवाया। इसके विपरीत एपीओ का यह तर्क रहा है कि पीड़िता की मां के साथ अभियुक्त द्वारा

मारपीट की गई थी, जिसके कारण उसकी मां भर्ती थी और उसका पिता उनके साथ अस्पताल में था एवं अभियुक्त ने इसी मौके का फायदा उठाकर पीड़िता के साथ रास्ता रोककर मारपीट, गाली–गलोच व लज्जा भंग करने का अपराध किया है। चिकित्सकीय साक्षी पीडब्ल्यु 03 डॉ. अशोक माहेश्वरी ने चोट प्रतिवेदन प्रदर्शपी 03 तैयार करने एवं पीड़िता के शरीर पर पांच चोटें साधारण प्रकृति एवं भोंटे हथियार से आने के संबंध में साक्ष्य दी है। जिरह में भी ऐसा कोई प्रश्न नहीं किया गया है जिससे उक्त चोटों का खंडन होता हो। जिरह में इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उक्त चोटें किसी पथरीले धरातल पर रगड़ से आ सकती हैं। लेकिन इस सुझाव से इंकार किया है कि उक्त चोटें स्वःकारित हो सकती है। इस प्रकार परिवादिया की साक्ष्य की पुष्टि इस गवाह की साक्ष्य से भी होती है। अधिवक्ता अभियुक्त का यह भी तर्क रहा है कि प्रदर्श पी 07 में ए से बी स्थान वर्णित तथ्य बाद में दर्ज किए गए हैं और पुलिस पृष्ठांकन में भी समय में कांट–छांट की गई है। निश्चित तौर पर प्रदर्श पी 07 में ए से बी स्थान पर तथ्य वर्णित किए हैं, वे तथ्य कब और किसके द्वारा अंकित किए, इसके संबंध में परिवादिया से कोई भी प्रश्न अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा नहीं किया गया है। हालांकि गवाह पीडब्ल्यू 10 मूलाराम ने जिरह में स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 07 के पुलिस पृष्ठांकन में दर्ज करने के समय में कांट–छांट की हुई है, लेकिन जिरह में ऐसा कोई प्रश्न नहीं किया गया है कि उक्त कांट–छांट किसके द्वारा की गई। गवाह पीडब्ल्यू 10 जगदीश प्रसाद जिसे उक्त प्रदर्शपी 07 के संबंध में प्रश्न किए गए, जिसने भी स्वीकार किया कि प्रदर्श पी 07 में दोहरी हैंडराइटिंग है। अजखुद कहा कि यह पीड़िता ने पेश की थी, वही बता सकती है तथा ए से बी भाग छोटे अक्षरों से लिखा है। यह गवाह जगदीश प्रसाद एफआईआर प्रदर्श पी 07 पर दर्ज करवाने वाला व्यक्ति है, जिसके द्वारा ही पुलिस पृष्ठांकन किया गया था। इस गवाह से ओवर राइटिंग का कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। इस प्रकार जो आधार अपनी बहस में अधिवक्ता अभियुक्त में लिए गए हैं उनके संबंध में जिरह नहीं करना यह माना जाएगा कि उन्होंने उक्त तथ्यों को स्वीकार कर लिया है, जिसके संबंध में माननीय स्र्वोच्च न्यायालय व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में अभिनिर्धारित किया है कि, जिन तथ्यों पर जिरह नहीं की जाती है, वे तथ्य स्वीकृत मान लिए जाने चाहिए।

11. अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहान की साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो उन्होंने अपनी साक्ष्य में अपराध किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं और केवल नक्शा मौका, गिरफतारी व राजस्व रेकार्ड तथा अनुसंधान कर आरोप–पत्र पेश करने के संबंध में साक्ष्य दी है। गवाह पीडब्ल्यु. 04 छैल सिंह ने प्रदर्शपी–4 व 5 नक्शा ट्रेस व नकल खतौनी के संबंध में औपचारिक साक्ष्य दी है जिसने जिरह में भी स्वीकार किया है कि उसका मौके पर जाने का कोई काम नहीं पड़ा। इसी प्रकार पीडब्ल्यु 07 बाबूलाल जोकि नक्शा मौका प्रदर्शपी–01 का गवाह है, ने दिनांक 15.11.13 को पुलिस द्वारा हनुमान के खेत में लड़ाई–झगड़ा होने का मौका देखकर उसके हस्ताक्षर करवाने की साक्ष्य दी है। जिरह में यह गवाह कथन करता है कि पुलिस किस वार व माह को आई थी

उसे याद नहीं है। अजखुद कहा कि 2016 में आई थी। उसके पुलिस ने कागजात पर हस्ताक्षर करवाये थे जिन पर कुछ लिखा हुआ था। इस गवाह ने खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यु 08 कवेन्द्र कुमार व पीडब्ल्यु 09 दुर्गाराम जोकि फर्द गिरफ्तारी प्रदर्शपी–06 के गवाहान है, ने अपने सामने पुलिस द्वारा मुलजिम को गिरफतार करने की साक्ष्य दी है। जिन्होंने जिरह में स्वीकार किया है कि मुलजिम को घटना के 37–38 दिन बाद गिरफतार किया था अजखुद कहा कि 68 दिन बाद गिरफतार किया था। उसे 10.15 बजे गिरफतार किया गया था। जामा तलाशी में क्या मिला था उसे याद नहीं है। गिरफतारी की सूचना किसको दी गई थी यह याद नहीं है। इस बात से इंकार किया है कि वे गिरफतारी के समय साथ नहीं हो और उच्चाधिकारियों के कहने से हस्ताक्षर मात्र किये हों। हालांकि यह स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्त को गिरफतार किया गया था जिसके संबंध में कोई आपत्ति भी अभियुक्त द्वारा नहीं की गई है। इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यु.10 मूलाराम जोकि प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, ने अनुसंधान के संबंध में औपचारिक साक्ष्य अपनी मुख्य परीक्षा में दी है। जिरह में भी इस गवाह से ऐसे कोई प्रश्न नहीं किये गये हैं जिससे अभियोजन कहानी संदिग्ध प्रकट होती हो। जिरह में यह गवाह कथन करता है कि घटनास्थल पर वह किस साधन से गया था आज याद नहीं है। घटनास्थल पर आने जाने का थाने से रोजनामचा में हवाला है लेकिन इसकी रपट की प्रति पत्रावली पर मौजूद नहीं है। यह भी स्वीकार किया कि घटनास्थल के पास राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आया हुआ है। यह भी स्वीकार करता है कि दौराने अनुसंधान इस विद्यालय के किसी भी स्टाफ के बयान नहीं लिये गये। यह भी स्वीकार किया है कि परिवादी व मुलजिम के बीच पूर्व से खेत को लेकर विवाद चल रहा है। इस बात से इंकार किया है कि उसने परिवादी से मिलकर मुलजिम को झूठा फंसाया हो। स्कूल के स्टॉफ के बयान न लिये जाने से अनुसंधान किस प्रकार से दूषित हो गया है, यह प्रकट नहीं किया गया है। खासकर तब जबकि अभियुक्त के पास भी उक्त स्कूल के स्टाफ को अपनी प्रतिरक्षा में पेश कर परीक्षित करवाने का पर्याप्त अवसर था। यहां तक कि अपने बयान मुलजिम में भी ऐसा कोई प्रतिरक्षा का आधार वर्णित नहीं किया गया है। गवाहान ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति हैं जिनकी साक्ष्य में मामूली विरोधाभास आना स्वाभाविक है लेकिन उनकी साक्ष्य इतनी विरोधाभासी नहीं है जिससे कि सम्पूर्ण कहानी ही झूठी व असफल हो जाये। इस प्रकार परिवादिया व उसके स्वतंत्र गवाहान की साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि अभियुक्त ने परिवादिया के माता–पिता की अनुपस्थिति में उनके खेत में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर अतिचार करते हुये परिवादिया के खेत में काम करते हुये का सदोष अवरोध कारित कर उसके साथ कुंदाला हथियार से मारपीट कर स्वैच्छया उपहतियां कारित की और उसकी लज्जा का अनादर करने के आशय से आपराधिक बल व हमला किया एवं गंदी–गंदी गालियां निकाली।

12. उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष अपनी समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध उक्त विचारणीय बिन्दु संदेह की सीमा से परे साबित करने में सफल रहा है। इसलिये अभियुक्त जोगेन्द्र कुमार उर्फ जोगाराम को अपराध अन्तर्गत धारा 447, 341 323, 354, 509 भारतीय दंड संहिता के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: **<u>आदेश</u>** :–

13. परिणामस्वरूप अभियुक्त जोगेंद्र कुमार उर्फ जोगाराम पुत्र धर्माराम उम्र 30 वर्ष निवासी चुली डुंगरी हाल–केरनाडा पुलिस थाना चौहटन जिला बाडमेर को धारा 447, 341 323, 354, 509 भारतीय दंड संहिता के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(विजय कुमार)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
चौहटन जिला बाड़मेर

–: **<u>सजा के बिंदु पर</u>** :–

14. अधिवक्ता अभियुक्त व अभियोजन अधिकारी को सजा के बिंदु पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने निवेदन किया गया कि अभियुक्त मजदूरी पेषा गरीब नौजवान उम्र व्यक्ति हैं जिसका यह प्रथम अपराध है एवं अभियुक्त लगभग 12 वर्षों से अधिक समय से अन्वीक्षा भुगत रहा हैं जिसने पूर्व में कभी परीविक्षा अधिनियम का लाभ प्राप्त नहीं किया है और ना ही किसी न्यायालय द्वारा उसे दोषसिद्ध घोषित किया है। साथ ही तर्क दिया कि अभियुक्त को जमीनी विवाद में झूठा फंसाया गया है एवं पीड़िता अभियुक्त की रिश्ते में बहिन लगती है और कोई भी भाई अपनी बहिन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। अभियुक्त के जैल जाने से उसके मस्तिष्क व चरित्र पर बुरा असर पड़ेगा। अंत में अभियुक्त को तुरंत सजा से दंडित न कर परिवीक्षा का लाभ दिए जाने का निवेदन किया गया। इसके विपरीत अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि अभियुक्त द्वारा अपनी चचेरी बहिन के साथ मारपीट, गाली–गलौच व लज्जा भंग करने का अपराध कारित किया गया है, इसलिए अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ न दिया जाकर कठोर से कठोर दंड से दंडित करने का निवेदन किया।

15. पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया जाकर पत्रावली का पुनः अवलोकन किया गया। अभियुक्त द्वारा अपनी चचेरी बहिन पीड़िता के साथ उसके माता–पिता की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर दिन–दिहाड़े रास्ता रोककर मारपीट करने, गाली–गलौच करने एवं उसकी लज्जा का अनादर करने के लिये आपराधिक बल या हमले का प्रयोग करने का अपराध कारित किया गया है। निष्चित तौर पर अभियुक्त नौजवान व्यक्ति है एवं लंबे समय से अन्वीक्षा भुगत रहा है तथापि अभियुक्त ने परिवादिया का चचेरा भाई होते हुये उसकी लज्जा भंग करने का अपराध किया है

जोकि पारिवारिक रिश्तों को तार–तार करने के समान है और वर्तमान में इसी प्रकार की विभिन्न घटनायें देखने–सुनने को मिल रही हैं और चचेरे भाई द्वारा किये गये उक्त कृत्य से निश्चित तौर पर परिवादिया को मानसिक क्षति कारित हुई है। इस प्रकार का अपराध आकस्मिक या क्षणिक उत्तेजना में न होकर सोच–समझकर किया गया है जो समाज के लिए अत्यंत हानिकारक है। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त के लंबे समय से अन्वीक्षा भुगतने व नौजवान उम्र होने के तथ्यों के आधार पर परिवीक्षा का लाभ दिया जाने से समाज में इस प्रकार के अपराधों को बढ़ावा मिलेगा और यह न्याय व्यवस्था की गरिमा के भी विपरीत होगा। अतः प्रकरण के समस्त तथ्य–परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति तथा गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है तथा अभियुक्त को कारावास से दंडित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। लेकिन अभियुक्त की आयु को देखते हुये उन्हें उक्त धाराओं में वर्णित अधिकतम दण्ड के बजाय कम दंड से दंडित किया जाना भी उचित प्रतीत होता है।

(विजय कुमार)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
चौहटन जिला बाड़मेर

–: **<u>दण्डादेश</u>** :–

16. अभियुक्त जोगेंद्र कुमार उर्फ जोगाराम पुत्र धर्माराम, उम्र 30 वर्ष, निवासी चुली डुंगरी हाल–केरनाडा पुलिस थाना चौहटन जिला बाडमेर को दोषसिद्ध घोषित किया जाकर निम्नानुसार दंडादेश पारित किया जाता हैः–

क्र.स.	धारा	सजा	अदम अदायगी जुर्माना
1	धारा 323 भारतीय दंड संहिता	06 माह का साधारण कारावास	---
2	धारा 341 भारतीय दंड संहिता	01 माह का साधारण कारावास	---
3	धारा 447 भारतीय दंड संहिता	01 माह का साधारण कारावास	---
4	धारा 354 भारतीय दंड संहिता	1 वर्ष का साधारण कारावास और 1,000/–रुपये जुर्माना	01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास
5	धारा 509 भारतीय दंड संहिता	1 वर्ष का साधारण कारावास और 1,000/–रुपये जुर्माना	01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास

17. उपरोक्त समस्त मूल सजाएं साथ–साथ चलेंगी। अभियुक्त द्वारा प्रकरण में अन्वेषण/अन्वीक्षा के दौरान पुलिस अभिरक्षा/न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि को मूल सजा में समायोजित किया जावे। उपरोक्तानुसार सजा वारंट मूर्तिब हो।

18. साथ ही अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह धारा 437ए सीआरपीसी के तहत अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु दस हजार रूपए की जमानत एवं इतनी ही राशि का स्वयं का मुचलका न्यायालय के समक्ष पेश कर तस्दीक करावें। अभियुक्त द्वारा उपरोक्तानुसार बंधपत्र पेश करने पर नियमित उपस्थिति बाबत पूर्व में पेश जमानत–मुचलके स्वतः निरस्त समझे जावे। अभियुक्त को निर्णय की एक प्रति अविलंब निःशुल्क दी जावे।

19. तथापि प्रकरण में अपील होने या बाद गुजरने मियाद अपील प्रकरण में किसी प्रकार की संपत्ति/वाहन/माल वजह सबूत के जब्तशुदा रहने की स्थिति में उसके नियमानुसार निस्तारण किए जाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को तहरीर जारी की जावे।

(विजय कुमार)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
चौहटन जिला बाड़मेर

20. निर्णय आज दिनांक 21.04.2026 को लेखबद्ध किया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विजय कुमार)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
चौहटन जिला बाड़मेर